



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 20 सितम्बर, 2025

भाद्रपद 29, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 1707/ग्यारह-2-25-9(47)/17-टी0सी0-292-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(353)-2025

लखनऊ, 20 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

प0आ0-158

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना संख्या क0नि0-2-848/ग्यारह-9 (47)/17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(15)-2017, दिनांक 30 जून, 2017 में एतद्वारा निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, खण्ड (iv) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

“(v) स्थानीय परिदान के माध्यम से सेवाएं सिवाए वहां जहां इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए दायी हो।”

2- यह अधिसूचना तारीख 22 सितम्बर, 2025 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

एम0 देवराज,

प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1707 / XI-2-25-9(47) / 17-T.C.-292-U.P. Act-1-2017-Order (353)-2025, dated September 20, 2025 :

No. 1707 / XI-2-25-9(47) / 17-T.C.-292-U.P. Act-1-2017-Order-(353)-2025

Dated Lucknow, September 20, 2025

IN exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 9 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification no. KA.NI.-2-848/XI-9(47)/17-U.P. Act-1-2017-Order-(15)-2017 dated June 30, 2017, namely:—

AMENDMENT

IN the said notification, after clause (iv), the following clause shall be *inserted*, namely:—

"(v) services by way of local delivery except where the person supplying such services through electronic commerce operator is liable for registration under sub-section (1) of Section 22 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017."

2. This notification shall come into force with effect from the 22nd day of September, 2025.

By order,
M. DEVARAJ,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 186 राजपत्र-2025-(569)-599 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 8 सा० राज्य कर-2025-(570)-500+500=1000 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।